

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2012 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

पत्तन अवसंरचना की समीक्षा

† 2012. श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास रसद में बाधाओं को कम करने के लिए देश की पत्तन अवसंरचना के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने पत्तन कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण अवसंरचना कमियों, की पहचान की है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा और उन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए समय-समय पर उनके कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी; और
- (ग) यदि हां, तो देश विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में पत्तन कनेक्टिविटी में चिह्नित महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक कमियों की संख्या कितनी है।

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सागरमाला पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत की 7500 कि.मी. लंबी तटरेखा, 14,500 कि.मी. संभाव्य नौचालन जलमार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी सामरिक स्थिति का उपयोग करते हुए देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला का विज्ञान न्यूनतम अवसंरचना निवेश के साथ लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करना है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की समग्र कुशलता में सुधार करना और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय विकास और तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन।

(ख) और (ग): महापत्तनों और राज्य समुद्री बोर्डों के साथ परामर्श के आधार पर 107 अंतिम मील की सड़क और रेल संपर्कता अवसंरचना अंतरों की पहचान की गई है और इन्हें सितंबर, 2022 में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार किए गए व्यापक पत्तन संपर्कता योजना (सीपीसीपी) में शामिल किया गया है। परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करने के लिए राज्य मल्टी मॉडल समितियां गठित की गई हैं जिनमें महापत्तनों, राज्य समुद्री बोर्डों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। अवसंरचना अंतरों की राज्य-वार सूची अनुबंध के रूप में दी गई है।

अनुबंध

पत्तन रेल और सड़क अवसंरचना अंतरों की राज्य-वार संख्या

राज्य	अवसंरचना अंतरों की संख्या
आंध्र प्रदेश	14
गुजरात	19
कर्नाटक	19
केरल	5
महाराष्ट्र	31
ओडिशा	8
तमिलनाडु	7
पश्चिम बंगाल	4
कुल	107
